

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सनराईज एकेडमी
जी0टी0 रोड देवबन्द, सहारनपुर।

पत्रांक/बेसिक/मान्यता/ 3404-05 /2021-22 दिनांक 15.07.2021
विषय:- मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर के पत्रांक/मान्यता/33029-31/2015-16 दिनांक 20.02.2016 द्वारा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन उप नियम 4 के अधीन आपके विद्यालय को कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम से निर्गत मान्यता के नवीनीकरण/स्थायीकरण अनुरोध किया गया है।

अग्रेत्तर कार्यालयी अभिलेखानुसार निर्धारित अवधि में विद्यालय की मान्यता की शर्तों के उलंघन की कोई भी शिकायत संज्ञानित नहीं है। अतः शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18-20/91 बेसिक शिक्षा अनुभाग-6 लखनउ दिनांक 08 मई 2013 में विहित प्रावधानानुसार आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

भवदीय,

(रमेन्द्र कुमार सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

पृ0सं0 एवं दिनांक वही।

प्रतिलिपि- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

खण्ड शिक्षा अधिकारी, देवबन्द सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।